ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. No.- 112-113
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

सपेरा समुदाय में पेशें के प्रति मनोवृत्ति का : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

जगदीप कुमार दिवाकर
असि0प्रो0– समाजशास्त्र विभाग, डी0बी0एस0, कालेज, गोविन्द नगर, कानपुर (उ0प्र0), भारत

Received-23.04.2023, Revised-29.04.2023, Accepted-03.05.2023 E-mail: jagdeepdiwakar@gmail.com

सारांशः ***सिर पर पगड़ी, कानों में कुण्डल कन्धे पर झोली एवं हाथ मे बीन लिए अक्सर गली, चौराहों पर सपेरे समुदाय के लोग मिल जायेंगे। जिन्हें हम जोगी, कालबेलिया, सपेरा एवं बेडिया आदि नामों से जानते है। भारतीय लोक संस्कृति की जीवन्त परम्परा का एक अभिन्न हिस्सा समेटे सपेरा समुदाय आज दरिद्रता की स्थिति में है। जहाँ एक तरफ हम न्यू इण्डिया की बातें करते हैं वहीं दूसरी तरफ छोटे–छोटे लघु समुदाय गुमनामी व उपेक्षा का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वन्य जीव संरक्षण अधि0 1972 लागू होने के बाद इनका जीवन पहले से कही अधिक कठिन व संघर्षपूर्ण हो गया है। सरकार चाहती है कि सपेरे परम्परागत पेशा छोड़ दे किन्तु सपेरे स्वयं को नाथ परम्परा से जोड़ते है एवं भगवान शिव इनके प्रमुख आराध्य देव। ऐसे में परम्परागत पेशा व आधुनिकता प्रति अनिच्छा का भाव इनके जीवन को शोध का विषय बना देता है।***

कुंजीभूत शब्द– सपेरे समुदाय, कालबेलिया, सपेरा, भारतीय लोक संस्कृति, दरिद्रता, गुमनामी, जीवन व्यतीत, संरक्षण, आधुनिकता।

भारत को को सांप–सपेरों का देश कहा जाता है। भारत में पायी जाने वाली विभिन्न तरह की जलवायु एवं वातावरण के कारण यहाँ सांपों की विभिन्न प्रजातियाँ पायी जाती है। इनमें से कुछ प्रजातियाँ अत्यन्त विषैली किन्तु अधिकांश सर्प प्रजातियाँ प्रायः विष रहित होती है। भारत में सर्पों को लेकर कई तरह के मिथक व किवदन्तियाँ प्रचलित है। इन मिथकों पर फिल्म निर्माताओं ने कई प्रसिद्ध फिल्मों का निर्माण किया है। प्रायः आम जन–मानस सर्पो के प्रति आदर व चमत्कार का भाव रखते हैं। जैसे कि नाग को मारने पर नागिन बदला लेती है, सर्प की आँखों में मारने वाले की तस्वीर छप जाती है, इच्छाधारी नाग–नागिन कोई भी रूप धारण कर सकते है तथा पुराने सर्पों के पास नागमणी होती है जैसी दन्त कथाएं हमें रोमांचित करती रहती है। भारत में सर्प भगवान शिव का श्रृंगार माना जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न धार्मिक मिथक सर्प को भारत में अत्यन्त पवित्र व शक्तिशाली जीव मानते हैं। भारत में प्राचीन समय में नागवंश के शासन का एक लम्बा इतिहास रहा है। जब हम भारत को साधुओं व सपेरों का देश कहते हैं तो इसका तात्पर्य है कि सपेरे भारतीय संस्कृति का न सिर्फ अभिन्न अंग है बल्कि विश्व में वह भारतीय संस्कृति व सभ्यता के प्रतीक भी है। नाथ सम्प्रदाय से जुड़े सपेरे स्वयं को गुरू गोरखनाथ से जोड़ते है। गुरू कनीफानाथ भी सपेरों के एक अन्य गुरू है। इसी इतिहास के साथ सपेरों के जीवन में संघर्षों का भी एक लम्बा इतिहास है। सपेरा प्रायः एक घुमन्तू समुदाय है। जिस कारण यह प्रायः भूमिहीन है।

सपेरों की अपनी एक संस्कृति है जिसमें भारत के विभिन्न समुदायों की संस्कृति का एक अनोखा मिश्रण नजर आता है। भारत में लोक संस्कृति का एक जीवन्त स्मारक सपेरे लोग है। सपेरा समुदाय प्रायः सम्पूर्ण भारत में पाया जाता है किन्तु अपनी विशेष वेश–भूषा के कारण उ0प्र0, राजस्थानत्र, पं0 बंगाल, उड़ीसा, बिहार एवं पंजाब के सपेरों में एक समानता नजर आती है। प्रायः हमें सर पर पगड़ी, कुर्ता, लुंगी, बड़ी–बड़ी मूँछें, हाथ में बीन व गले में सर्प लटकाए मिलने वाले लोग ही सपेरे है। इनका पेशा सर्प, बिच्छू, मोनिटर लिजर्ट आदि जहरीले सरीसृप पकड़कर लोगों को दिखाना तथा उसके बदले प्राप्त होने वाले रूपयों से अपना व परिवार का पालन–पोषण करना। भुवनेश्वर के समीपवर्ती गांव पद्यमकेश्वरपुर भारत का सबसे बड़ा सपेरों का गांव माना जाता है। सपेरा समुदाय प्रायः घुमन्तु समुदायों के अन्तर्गत आता है। क्योंकि इनका पेशा सर्प दिखाना है इसलिये कई बार यह समुदाय एक शहर से दूसरे शहर में पलायन करते रहते है। शहर के बाहरी इलाके में यह अपना ठिकाना बनाते है। वैश्वीकरण एवं आधुनिकता के इस दौर में सपेरा समुदाय मानो गुम हो गया है। अशिक्षा, गरीबी एवं बेरोजगारी इनकी प्रमुख समस्या बना हुआ है। बचपन से इनके बच्चे सर्पों के बीच पलते–बढ़ते हैं इसलिये बड़ी कम आयु मे ही सर्प पकड़ने में महारत हासिल कर लेते है। तथा इसी पेशे को अपना लेते हैं। परम्परागत पेशे मे आय अत्यन्त कम होती है क्योंकि लोग इच्छा व दया से जो दे दे इन्हे लेना पड़ता है। इसके बावजूद सपेरों की अधिकांश आबादी इसी परम्परागत पेशे से जुड़ी है। जो शोध का विषय है।

अध्ययन की आवश्यकता– सपेरा समुदाय प्राचीन समृद्ध परम्परा के संरक्षक है। लोक संस्कृति के संरक्षण व उसके प्रसार में सपेरा समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान है किन्तु साहित्य का पुनरावलोकन करने पर ज्ञात होता है कि इनके बारे में लोगों को वास्तविकता कम भ्रान्तियाँ अधिक पता है। ऐसे में सपेरों में न तो आधुनिकता दिखती है और न ही समृद्धि का कोई चिन्ह दिखता है। सपेरा समुदाय के बच्चों, परिवार व समुदाय में आधुनिकता व विकास की कोई किरण नहीं फूटती नही दिखाई दे रही है। ऐसे में यह बहुत आवश्यक हो जाता है पीछे छूट गये इस लोक समुदाय के बारे में जानकारी एकत्र की जाये।

समस्या कथन– ''सपेरा समुदाय में परम्परागत पेशे के प्रति मनोवृत्ति का : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन''

अध्ययन के उद्देश्य–

1. सपेरा समुदाय में अपने परम्परागत पेशे के प्रति लगाव अथवा अभिरूचि का अध्ययन
2. सपेरा समुदाय में परम्परागत पेशे से भिन्न पेशों एवं रोजगार की स्थिति का अध्ययन।
3. सपेरा समुदाय में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अध्ययन।

अध्ययन का सीमांकन–

1. भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से प्रस्तुत अध्ययन कानपुर देहात के मैथा ब्लाक के नारीबरी नामक सपेरा गॉव तक सीमित है।

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

2. प्रस्तुत अध्ययन में परिवार के पुरूष मुखिया को ही शामिल किया गया है।

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन– संजय मुरा (20 जनवरी 2018) ने अपने अध्ययन ''पं0 बंगाल के बेढ़िया समुदाय (सपेरा) में शिक्षा का प्रभाव'' नामक अध्ययन में बताया कि बेढ़िया समुदाय में लोगों के पास प्रायः स्वयं के घर नही है और इनकी बड़ी आबादी प्रायः ग्राम समाज की जमीन पर अस्थायी व अवैध रूप से झुग्गी–झोपड़ी बनाकर रहती है। इनकी स्थिति अन्य आदिवासी समुदायों के समान ही दयनीय है। शिक्षा का स्तर भी बहुत ही खराब स्थिति में है प्रायः जो लोग शिक्षित भी है उनमें शिक्षा का स्तर प्राथमिक स्तर से अधिक नही है। बिप्लव कुमार मोदक (जनवरी 2009) ने अपने अध्ययन ''सपेरों के व्यवसाय के समक्ष उत्पन्न खतराः पुरूलिया जिला के पुरोदिह ग्राम का अध्ययन'' में बताया गया है कि वर्तमान में सपेरे समुदाय के परम्परागत पेशे के समक्ष खतरा उत्पन्न हो गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रभावी होने के बाद से सापों को पकड़ना एक गैर कानूनी कार्य बन गया है जिस कारण सपेरों ने अब दूसरे कार्यों को भी अपनाना शुरू कर दिया है, जिसमें कृषि मजदूरी इनके रोजगार का साधन बनन लगा है।

शोध प्रविधि– शोध की प्रकृति एवं उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए वर्णनात्मक एवं अन्वेषणात्मक विधि का प्रयोग किया गया है। ऑकड़े संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची एवं अवलोकन का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श एवं न्यादर्श चयन– प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध में कानपुर देहात के मैथा ब्लाक के अन्तर्गत नारीबरी गॉव में असंभावित निदर्शन के अन्तर्गत, उद्देश्यपूर्ण निदर्शन का प्रयोग करते हुए 50 वयस्क पुरूष सदस्यों का अध्ययन इकाई के रूप में चयन किया गया है।

प्राप्त तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष– संकलित आंकड़ों के आधार पर सपेरा समुदाय के सम्बन्ध में निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं जो इस प्रकार है–

1. लगभग 80 फीसदी सपेरों ने अपने परम्परागत सर्प दिखाने के पेशे से संतुष्टि व्यक्त की।
2. 96 फीसदी सपेरों का मानना था कि उनके पुरखों का पेशा अत्यन्त पवित्र व सम्मानित है।
3. 76 फीसदी लोग परम्परागत पेशे से प्राप्त आय से संतुष्ट दिखे।
4. 70 फीसदी लोगों का मानना था कि भविष्य में उनके बच्चे परम्परागत व्यवसाय चुनते है तो इन्हें खुशी होगी।
5. लगभग 50 फीसदी सपेरों ने माना कि समाज का उनके प्रति व्यवहार अच्छा है।
6. घर की महिला सदस्यों में लगभग 100 फीसदी महिलाएं परम्परागत पेशे में घर के दायरे में रहकर सहयोग करती है।
7. 44 प्रतिशत लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते है।
8. 92 प्रतिशत लोगों ने माना कि बच्चों को स्कूल में भेजना चाहिए।
9. सिर्फ 10 प्रतिशत लोगों ने ही परम्परागत पेशे को छोड़कर भिन्न व्यवसाय के विकल्प को चुनने पर सहमति व्यक्त की।
10. 96 फीसदी लोगो का मानना है कि सरकार उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे तो उनकी स्थिति में सुधार होगा।

भविष्य में अनुसंधान हेतु सुझाव– लघु शोध करने के दौरान कुछ अनुभव प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर कुछ सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं जो इस प्रकार है–

1. प्रस्तुत अध्ययन केवल एक ब्लाक स्तर पर किया गया है। भविष्य में इसे प्रान्त व राष्ट्र स्तर पर किया जा सकता है।
2. प्रस्तुत अध्ययन में सिर्फ पुरूषों को ही लिया गया है। भविष्य में सिर्फ महिलाओं को लेकर भी शोध कार्य हो सकते है।
3. प्रस्तुत शोध में सिर्फ सपेरों के परम्परागत पेशे के प्रति अभिरूचि को लिया गया है। भविष्य में पारिवारिक एवं वैवाहिक व्यवस्था का अध्यन भी किया जा सकता है।

अध्ययन के सामाजिक निहितार्थ– सपेरा समुदाय अत्यन्त दीन–हीन स्थिति में गुजारा कर रहा है ऐसे में सरकार को इनको जनजाति का दर्ज दे देना चाहिए। अभी यह समुदाय उ0प्र0 में सामान्य वर्ग में आता है। सरकार को इनके रोजगार की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए तॉकि यह अपने परम्परागत व्यवसाय को छोड़ सके। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की सार्तकता तभी सिद्ध हो सकती है जब इनको धीरे–धीरे परम्परागत पेशे से पृथक कर वैकल्पिक रोजगार के अवसर सुलभ किये जाये। सपेरा समुदाय में शिक्षा का घोर अभाव है जिसे सामुदायिक विकास व शिक्षा के सुलभ अवसर द्वारा दूर किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. बेतेई, आद्रे (1966) कास्ट क्लास एण्ड पावर चेजिंग पैटर्न ऑफ स्ट्रेटीफिकेशन इन ए तंजोर विलेज, बाम्बे।
2. सेनसस ऑफ इण्डिया (1961) वोल्यूम I पार्ट वाई–बी (IV)
3. श्रीवास्तव, ए0आर0एन0 (2006) ''सामाजिक मानव विज्ञान'' शेखर प्रकाशन, इलाहाबाद।
4. दोषी, एल0आर0 एवं जैन, पी0सी0 (2020) ''जनजातीय समाजशास्त्र'', रावत पब्लि0 जयपुर।
5. दुबे, एस0सी0 (1955) ''इण्डियन विलेज'' लण्दन, यूनि0 ऑफ शिकागो प्रेस।
6. जैन, पी0सी0 (1999) ''प्लानेड डेवलपमेन्ट एमंग ट्राबल्स, जयपुर, रावत पब्लिकेशन
7. शाह, घनश्याम (1990) ''सोसल यूवमेण्ट इन इण्डिया'' न्यू दिल्ली, सेज पब्लिकेशन।
8. सिंह, के0एस0 (1972) ''ट्राबल सोसाइटी इन इण्डिया'' शिमला, इण्डियन इस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी।
9. सिंह, के0एस0 (1985) ''ट्राबल सोसाइटी इन इण्डिया'' नई दिल्ली मनोहर प्रकाशन।
10. धुर्ये, जी0एस0 (1943) ''एबोरीजनर्स, सो–काल्ड एण्ड देयर यूचर'' बाम्बे, पोपुलर पब्लिकेशन।

*****